

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 14/2023 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द्र खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम 1. राजेश कुमार मोटीयानी पुत्र देवी दास
मोटीयानी, फर्म हर्ष कुमार तनिष्क कुमार,
जी एस-14, कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं
दण्डनीय धारा 52 एवं 54

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित ।



आदेश

दिनांक 09.06.2023

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी राजेश कुमार मोटीयानी पुत्र देवी दास मोटीयानी की फर्म हर्ष कुमार तनिष्क कुमार, जी एस-14, कृषि उपज मण्डी, जिला भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को चावल (रूपया छाप ब्राण्ड) व अन्य ब्राण्ड के चावल व दालें इत्यादि विक्रय कर रहा था। राजेश कुमार मोटीयानी पुत्र देवी दास मोटीयानी मैसर्स हर्ष कुमार तनिष्क कुमार, जी एस -14, कृषि उपज मण्डी, जिला भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता 25-25 किलो के कुल 06 सीलड प्लास्टिक बैग चावल (रूपया ब्राण्ड) आम जनता को उपभोग हेतु रखा हुआ था। मिलावट व मिसब्राण्ड का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5-ए में दी व रसीद प्राप्त की। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5 ए की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, फर्म के खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य

(Signature)

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 एवं 54 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.03.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 13.04.2023 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड व Food Containing Extraneous Matter Under-Section 3(1)(i) होना पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में पाया गया कि चावल (रूपया छाप ब्राण्ड) नमूना एक्स-1267 में Batch No.- Not Given , Boric Acid Test For Turmeric Powder – Positive पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा Negative होना चाहिए, Extraneous Matter (Organic) 0.10 पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा Not More Than 0.8 होना चाहिए . Misbranded Under Section 3(1)(zf)(c)(i) OF Food Safety And Standards Act-2006 And Food Containing Extraneous Matter Under Section 3(1)(i) Of Food Safety And Standards Act – 2006 Due To Presence OF Turmeric Powder का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड चावल (रूपया छाप ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 एवं 54 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि उक्त चावल वह पैक माल खरीदता हैं एवं पैक माल ही बेचता है। इसमें कोई मिलावट नहीं की जाती हैं। बेच नं. आदि के लिये कम्पनी जिम्मेदार हैं विक्रेता नहीं। फिर भी पहली गलती मानते हुये माफी प्रदान करें। भविष्य में ध्यान रखूंगा। कृपया प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./501/एक्ट/2022/352 दिनांक 28.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना सं0 एक्स-1267 चावल (रूपया छाप ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के


Sup

अनुसार पाया गया कि चावल (रूपया छाप ब्राण्ड) नमूना एक्स-1267 में Batch No.- Not Given , Boric Acid Test For Turmeric Powder – Positive पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा Negative होना चाहिए, Extraneous Matter (Organic) 0.10 पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा Not More Than 0.8 होना चाहिए . Misbranded Under Section 3(1)(zf)(c)(i) OF Food Safety And Standards Act-2006 And Food Containing Extraneous Matter Under Section 3(1)(i) Of Food Safety And Standards Act – 2006 Due To Presence OF Turmeric Powder का उल्लंघन कर मिसब्राण्डेड चावल (रूपया छाप ब्राण्ड) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड चावल (रूपया छाप ब्राण्ड) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 व 54 के अन्तर्गत विपक्षी पर 50,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।


निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


न्याय निर्णय अधिकारी एवं अधिकांशी एका मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- 2 राजेश कुमार मोटीयानी पुत्र देवी दास मोटीयानी, फर्म हर्ष कुमार तनिष्क कुमार , जी एस-14 , कृषि उपज मण्डी , भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत करे




न्याय निर्णय अधिकारी एवं अधिकांशी एका मजिस्ट्रेट
अति० मुजिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
भीलवाड़ा (राज.)